(259)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551

संख्या–3212/XXV–2(P-14)/2021 देहरादून दिनांक04जून,2024

सेवा में,

श्री योगेश चौहान,
मीडिया प्रभारी
उत्तराखण्ड मूल निवासी पिछडा वर्ग
मोर्चा निवासी झण्डी चौड (पूर्वी) पो0 झण्डी चौड
उत्तरी कोटद्वार गढवाल उत्तराखण्ड।
मो0.7300772745

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 17.05.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 24.05.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 23 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 में विधानसभा के निर्वाचनों में विभिन्न जातियों के फर्जी प्रमाण–पत्रों वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन लडने से रोके जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में विधानसभा के निर्वाचनों में विभिन्न जातियों के फर्जी प्रमाण–पत्रों वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन लडने से रोके जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 3118 दिनांक 28 मई, 2024 के द्वारा समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, टिहरी, पौडी, अल्मोडा (अ0जा0), नैनीताल–उधमसिंहनगर व हरिद्वार/समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के संदर्भ में कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

अपीलीय अधिकारी का पता

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

Signed by Basant Singh Rawat
Date: 04-06-2024 16:35:15
Reason: Approved

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0 9411740189

090/2024

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या 3118 /XXV–06/2024 देहरादून : दिनांक 28 मई,2024

सेवा में,

1– समस्त रिटर्निंग ऑफिसर,
1. टिहरी गढवाल 2. पौडी गढवाल 3. अल्मोडा(अ0जा0)
4. नैनीताल–उधमसिंहनगर 5. हरिद्वार।

2– समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **उत्तराखण्ड के समस्त तहसीलदारों द्वारा ताम्रकार(टम्टा), लोहार, बढ़ई, सोनार, दर्जी आदि पिछ्ड़ी जातियों एवं कोली सामान्य जाति एवं वादी, बाजगी आदि अनुसूचित जाति की मूल जाति छिपाकर शिल्पकार जाति से फर्जी प्रमाण–पत्रों पर अल्मोड़ा लोक सभा अनुसूचित जाति की पर रोक लगाई जाय एवं अनुसूचित जाति की विधानसभाओं में आरक्षित सीट पर शिल्पकार जाति से अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्रों पर भी लगाई जाने एवं जिला देहरादून चकाराता एवं ननकमत्ता अनुसूचित जनजाति विधान सभा आरक्षित सीट पर ब्राह्मण/क्षत्रीय राजपूत सामान्य जाति के फर्जी प्रमाण–पत्रों पर रोक लगाये जाने हेतु।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–23/रा0नि0आ0–3/1113/(1)/2017 दिनांक 08.04.2024(प्रति संलग्न) के साथ संलग्न शिकायती पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र में लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन में विभिन्न जातियों के फर्जी प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों/उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोके जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायत का विवरण निम्नवत है:–

रा0नि0आयोग के पत्र सं0–23 दि0–18.04.2024 में वर्णित तालिका में शिकायत/ अनुरोध पत्र की कम संख्या	अनुरोधकर्ता/शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय
05	श्री योगेश चौहान, मीडिया प्रभारी, उत्तराखण्ड मूल निवासी पिछड़ा वर्ग मोर्चा निवासी झण्डीचौड (पूर्वी) पोस्ट झण्डीचौड़ (उत्तरी) कोटद्वार गढ़वाल, उत्तराखण्ड का पत्र दि0–20मार्च, 2024	विधान सभा निर्वाचनों में विभिन्न जातियों के फर्जी प्रमाण–पत्रों वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन लड़ने से रोके जाने के सम्बन्ध में।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के उपरोक्त पत्र दिनांक 08 अपैल, 2024 के साथ शिकायतकर्ता के आवेदन पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया वर्णित शिकायत पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जॉच करवाकर निमयानुसार यथोचित कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Mastu Das
Date: 28-05-2024 18:39:36
(मस्तू राम)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

प्राप्त-24/05/24

पंजीकृत — महत्वपूर्ण — आर० टी० आई मामला। अति तत्काल सूचना देने की कृपा करें।
दिनांक 17-5-2024

सेवा में,
श्रीमान संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
सचिवालय परिसर देहरादून।

विषय — सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत — सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,
निवेदन है कि उपायुक्त राज्य निर्वाचन मा० आयोग — उत्तराखण्ड निर्वाचन भवन लाडलपुर मसूरी बाईपास रिंग — रोड देहरादून के संलग्न आदेश संख्या-23/रा० नि० आ०-3/1113(1)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2024 के क्रमांक 5 पर आपके द्वारा कृत — कार्यवाही की प्रति देने की कृपा करें। अति तत्काल — उपरोक्त विषयक के अन्तर्गत साक्ष्य संलग्न 2 प्रपत्र एवं संलग्न 10 रु० का० पोस्टल आर्डर सं० 01G 788611

दि० 17-5-2024

(Y Chauhan)
योगेश चौहान
मीडिया प्रभारी उत्तराखण्ड मूल निवासी पिछड़ा वर्ग मोर्चा — निवासी झण्डीचौड़ (पूर्वी) पो० झण्डीचौड़ उत्तरी कोटद्वार गढ़वाल उत्तराखण्ड। 246149. — मो० 7300772745

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

प्रभात कुमार सिंह,
उपायुक्त।

सेवा में,

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

संख्याः– 23 /रा0नि0आ0–3/1113 (1)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2024

विषयः–विधानसभा सभा/लोकसभा निर्वाचन से सम्बन्धित प्राप्त पत्रों का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन से सम्बन्धित प्राप्त निम्नानुसार पत्रों को मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि संलग्न पत्रों पर अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	पत्र प्रेषित करने वाले का नाम पता व दिनांक	संदर्भ/विवरण
1.	कुलसचिव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 21 मार्च, 2024।	लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूर्व में जारी निविदाओं/बोलियों के अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।
2.	श्री विनोद पुत्र श्री राजपाल, कांग्रेस कार्यकर्ता, निवासी, फूलबाग, थाना पन्तनगर, जिला, ऊधमसिंहनगर का दिनांकरहित पत्र।	निरीक्षक, थाना पन्तनगर द्वारा मनमानी तरीके से अपने पद का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में।
3.	श्री महेश चन्द, निवासी 595, लेबर चौक रामनगर, रूड़की, डाकखाना रामनगर रूड़की, जिला हरिद्वार का पत्र, दिनांक 27.03.2024।	श्री सुधीर कुमार, लेखपाल, तहसील, ऋषिकेश जनपद, देहरादून का अन्य तहसील में स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में।
4.	श्री विनोद पुत्र श्री राजपाल, कांग्रेस कार्यकर्ता, निवासी फूलबाग, थाना पन्तनगर, जिला ऊधमसिंहनगर का दिनांकरहित पत्र।	थाना निरीक्षक पन्तनगर द्वारा मनमानी तरीके से अपने पद का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में।

क्रमशः................2

5.	श्री योगेश चौहान, मीडिया प्रभारी, उत्तराखण्ड मूल निवासी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, निवासी झण्डीचौड (पूर्वी) पोस्ट झण्डीचौड (उत्तरी), कोटद्वार, गढवाल, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 20.03.2024।	विधानसभा के निर्वाचनों में विभिन्न जातियों के फर्जी प्रमाण–पत्रों वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन लड़ने से रोके जाने के संबंध में।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रभात कुमार सिंह)
उपायुक्त।

संख्या– 23 /रा0नि0आ0–3/1113 (1)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–उपरोक्त संबंधित शिकायकर्ताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रभात कुमार सिंह) 08/4/24
उपायुक्त।